

कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद—देवरिया

संख्या— 185(13) / न०पंगौ०बा०—2013

दिनांक— 12/12/2013

अल्पकालिक निविदा सूचना:-

नगर पंचायतों /P.W.D के समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों की मोहरबन्द निविदायें दिनांक 21.12.2013 को प्रातः 3.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक अपर जिलाधिकारी कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी तथा दिन अपराह्न 4.30 बजे अपर जिलाधिकारी खोली जायेगी तथा कार्य सम्बन्धी निविदा फार्मों की बिक्री दिनांक 18.12.2013 से दिनांक 20.12.2013 से अपराह्न 1.00 बजे तक की जायेगी। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। बिना कारण बताए एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार के पास सुरक्षित होगा।

निर्माण कार्य का विवरण:-

क्र०सं०	निर्माण कार्य का नाम	आगरन धनराशि	धरोहर धनराशि 2%	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
1-	ओम प्रकाश के मकान से नगर पंचायत कार्यालय होते हुए रवि चाय के दुकान तक पिच सुधार कार्य।	15,26,400=00	30528=	3,000=00	चार माह के अन्दर
2-	मेन रोड से महेन्द्र जायसवाल के मकान होते हुए हनुमान मन्दिर तक पिच सुधार कार्य।	19,67,600=00	39352=	4000=00	चार माह के अन्दर
	योग:-	37,94,4000=00	69880=	7,000=00	-----

- 1— ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की दरें स्पष्ट रूप में निविदा पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 2— ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के साथ अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र, आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3— किसी निविदा को बिना बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार में निहित होगा।
- 4— निविदा पर स्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- 5— निविदा स्वीकृति के पश्चात एवं कार्यादेश प्राप्ति के दो दिन के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अपने व्यय से क्रय करके अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 6— अनुबन्ध पत्र हेतु स्टैम्प पेपर नियमानुसार देय होगा।
- 7— निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोला जायेगा।
- 8— जमा जमानत धनराशि 2% के रूप में एन०एस०सी० / कें०बी०पी० / एफ०डी०आर० / आदि प्रमाण पत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9— निविदा के साथ किसी विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया का निर्णय अन्तिम/मात्य होगा।
- 10— ठेकेदार/फर्म या उनके सहयोगी द्वारा निविदा कार्य में व्यवधान अभद्रता/दुर्व्यहार आदि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में अंकित करायी जायेगी।
- 11— निर्माण कार्यस्थल का प्रथम फोटोग्राफी एवं कार्य प्रारम्भ होने का फोटोग्राफी/कार्य समाप्त होने का अन्तिम फोटोग्राफी तथा डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का नाम पूर्ण विवरण सहित एवं कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित करना ठेकेदारों को अनिवार्य होगा।
- 12— समस्त निविदा के साथ अलग—अलग 2% जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा बिना जमानत निविदाओं को सूचि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत गौरीबाजार अधिकारी

पत्रांक— / न०पंगौ०बा०—2013

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्षयक कायबाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी देवरिया।

2— अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाप्र, देवरिया।

3— उप जिलाधिकारी (सदर) देवरिया।

4— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया / गौरा बरहज, जनपद—देवरिया, नगर पंचायत—सलेमपुर, / मझौलीराज/ भट्टनी बाजार/ भाटपार रानी/ रामपुर कारखाना/ रुद्रपुर जनपद—देवरिया

5— अधिशासी अभियन्ता लो०नि० विभाग प्रान्तीय खण्ड देवरिया।

6— कार्यालय नगर पंचायत गौरीबाजार देवरिया के सूचना पट्ट पर चर्पा हेतु।

7— NIC.in Deoria पर अपलोड करने हेतु।

8— विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की विज्ञापन प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर समाचार की दो प्रति बिल सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत गौरीबाजार अधिकारी

नगर पंचायत गौरीबाजार अधिकारी

जनपद—देवरिया

अध्यक्ष
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
समाज—पंचायत गौरीबाजार
देवरिया

अध्यक्ष
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरीबाजार
देवरिया देवरिया